रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 4, 2014/माघ 15, 1935
No. 252] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 4, 2014/MAGHA 15, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2014

का.आ. 305 (अ) ——यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1399 (अ), तारीख 27 सितम्बर, 2005 द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 के 0.000 किलोमीटर से 504.400 किलोमीटर (नागपट्टिनम–तंजावूर–त्रिची– करूर–कोयम्बतूर–मेत्तुपलायम–तमिलनाडु/कर्नाटक सीमा सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, प्राधिकरण ने, तमिलनाडु राज्य में राराविप चरण–IIIए के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 के त्रिची–करूर सेक्शन के 135.800 किलोमीटर से 218.028 किलोमीटर तक के डिजाइन, इंजीनियरी, वित्त, निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण हेतु त्रिची बाइपास के 0.650 किलोमीटर से 16.450 किलोमीटर और 153.230 किलोमीटर से 196.380 किलोमीटर (लम्बाई 58.950 किलोमीटर) तक को पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का बनाने तथा त्रिची बाइपास के 0.000 किलोमीटर से 0.650 किलोमीटर और 16.450 किलोमीटर से 17.306 किलोमीटर तक और 196.380 किलोमीटर से 218.028 किलोमीटर तक (लम्बाई 23.154 किलोमीटर) (लालापेट आरओबी सहित) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर चार लेन की विभाजित सड़क मार्ग हेतु 05.02.2007 को प्रस्तुत की गयी बोली के उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसरण में, मैसर्स टी.के.टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एच ब्लॉक, प्रथम तल, धीरू भाई अम्बानी नॉलेज सिटी, नवी मुम्बई–400710 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है), के साथ 19.07.2007 को करार तथा 14.11.2013 को अनुपूरक करार किया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्ड/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुल/अस्थायी पुल के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क का संग्रहण) नियम, 1997 के नियम 3 के साथ पठित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त, प्रत्यागम, यातायात का दबाव तथा प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के उपयोग के लिए उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट श्रेणी के वाहनों पर निम्नलिखित सारणी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त सारणी" संदर्भित किया गया है) के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा, और उक्त रियायतग्राही को उक्त खण्ड की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी बाद में हो, समापन की तारीख तक, उक्त शुल्क को संग्रहीत तथा उसे प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:–

सारणी

क्रम सख्या	वाहनों की श्रेणी	जून 1997 में प्रति किलोमीटर प्रति एक मार्गीय चक्कर के लिए प्रति वाहन शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, यात्री वैन अथवा जीप	0.40
2.	हल्के वाणिज्यिक वाहन (एलसीवी)	0.70
3.	बस या ट्रक	1.40
4.	बहुधुरीय वाहन (2 से अधिक धुरी वाले), अर्थ मूविंग उपस्कर और भारी संनिर्माण मशीनरी	2.25

टिप्पणियां:–

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए:–

(i) ''वास्तविक शुल्क'' का अभिप्राय राजमार्ग परियोजना की लम्बाई पर आधारित और विधिवत् सूचीबद्ध उक्त सारणी में दिए गए शुल्क की आधार दर पर आधारित, राजमार्ग परियोजना के 135.800 किलोमीटर से 218.028 किलोमीटर के उपयोग के लिए सड़क प्रयोक्ताओं से वास्तव में लिए गए शुल्क से है जिसे निकटतम एक (01) रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा। प्रत्येक टोल प्लाजा राजमार्ग परियोजना की आधी लम्बाई के लिए शुल्क उद्ग्रहीत करेगा।

(ii) ''वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख अथवा सीओडी'' से अभिप्राय है वे तारीखें जिन तारीखों से (क) 157.500 किलोमीटर पर अवस्थित अस्थायी टोल प्लाजा पर 154.400 किलोमीटर से 176.976 किलोमीटर (लम्बाई 22.576 किलोमीटर) तक के लिए, (ख) 198.500 किलोमीटर पर अवस्थित टोल प्लाजा पर 176.976 किलोमीटर से 218.028 किलोमीटर (लम्बाई 41.052 किलोमीटर) तक के लिए, (ग) त्रिची बाइपास के 135.800 किलोमीटर से 154.400 किलोमीटर (लम्बाई 18.476 किलोमीटर) जिसके लिए तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 67 के रियायत करार के अनुच्छेद 15.01 तथा अनुपूरक करार के प्रावधानों के अनुसार, अनंतिम प्रमाणपत्र (पीसीसी) जारी करने पर 157.500 किलोमीटर पर अवस्थित अस्थायी टोल प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क संग्रहीत किया जाएगा। यह वह तारीख होगी जिस तारीख को स्वतंत्र परामर्शदाता ने प्राधिकरण तथा रियायतग्राही, जैसी भी स्थिति हो, के बीच हुए करार के प्रावधानों के अनुसार उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खण्डों के पूरा होने पर समापन प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र जारी किया हो;

(iii) ''स्थानीय यातायात'' का अभिप्राय निम्न प्रकार का यातायातः से है :

(क) कार/जीप/वैन–इसको यातायात की 2 श्रेणियां हैं, अर्थात् :

श्रेणी I का अभिप्राय और इसमें शामिल हैं वे स्थानीय प्रयोक्ता जो निम्नलिखित में किसी श्रेणी में आते हैं।

(1) उन गांवों/कस्बों/शहरों के निवासी, जिनकी सीमा शुल्क संग्रहण बूथों (टोल प्लाजा) के 10 किलोमीटर के दायरे में आती हैं।

(2) ऐसे प्रतिष्ठान/औद्योगिक इकाइयां जो शुल्क संग्रहण बूथों (टोल प्लाजा) के 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित हों।

(3) उन प्रतिष्ठानों/औद्योगिक इकाइयों के ऐसे कर्मचारी जिनके प्रतिष्ठान या औद्योगिक इकाइयां या जिनके कार्यालय शुल्क संग्रहण बूथों (टोल प्लाजा) के 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैः और

(4) स्व–रोजगारप्राप्त व्यक्ति/कारोबारी जिनका कार्यस्थल शुल्क संग्रहण बूथ (टोल प्लाजा) के 10 किलोमीटर के दायरे में हो।

श्रेणी–II का अभिप्राय है और इसमें शामिल है वे प्रयोक्ता जो निम्नलिखित किसी श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं:

(1) उन गांवों/कस्बों/शहरों के निवासी, जिनकी सीमा शुल्क संग्रहण बूथों (टोल प्लाजा) के 10 किलोमीटर से अधिक, किन्तु 20 किलोमीटर के दायरे में आती है।

(2) वे प्रतिष्ठान/औद्योगिक इकाइयां जो शुल्क संग्रहण बूथों (टोल प्लाजा) के 10 किलोमीटर से अधिक, किन्तु 20 किलोमीटर तक के दायरे में स्थित हों।

(3) उन प्रतिष्ठानों/औद्योगिक इकाइयों के ऐसे कर्मचारी जिनके प्रतिष्ठान या औद्योगिक इकाइयां या जिनके कार्यालय शुल्क संग्रहण बूथों (टोल प्लाजा) के 10 किलोमीटर से अधिक, किन्तु 20 किलोमीटर तक के दायरे में स्थित हों: और

(4) स्व–रोजगारप्राप्त व्यक्ति/कारोबारी जिनका कार्यस्थल शुल्क संग्रहण बूथ (टोल प्लाजा) के 10 किलोमीटर से अधिक, किन्तु 20 किलोमीटर तक के दायरे में हो।

(iv) ''समापन तिथि'' का अभिप्राय उस तिथि से है जिस तिथि को प्राधिकरण अथवा रियायतग्राही के बीच किया गया उक्त करार, उक्त करार के प्रावधानों के अनुसरण में समाप्त हो जाता है अथवा समापन नोटिस द्वारा समाप्त कर दिया जाता हैः

2. शुल्क की वास्तविक राशि तथा उसमें प्रत्येक वर्ष 01 सितम्बर से प्रभावी संशोधन का परिकलन निम्न प्रकार किया जाएगाः–

आधार शुल्क x डब्लूपीआइबी x प्रत्येक शुल्क प्लाजा को किलोमीटर में सौंपी गई लम्बाई
डब्लूपीआइए

जहां

- डब्लूपीआइ–ए =जून 1997 को थोक मूल्य सूचकांक (131.4)
- डब्लूपीआइ–बी =शुल्क में संशोधन की तारीख से पहले के 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपलब्ध औसत थोक मूल्य सूचकांक है।
- डब्लूपीआइ का अभिप्राय उस थोक मूल्य सूचकांक से है जिसे आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया हो अथवा कोई अन्य सूचकांक जो उसका स्थान लेनेवाला हो।

3. शुल्क दो टोल प्लाजाओं पर संग्रहीत किया जाएगाः

(क) त्रिची बाइपास के पूरा होने से पहले

क्रम सख्या	टोल प्लाजा का अवस्थान	किलोमीटर से	किलोमीटर तक	लम्बाई (किलोमीटर में)
1.	रारा–67 के तिरूचिरापल्ली जिले में गांव तिरूपुवेथुरई के पास 157. 500 किलोमीटर पर	154.400	176.976	22.576
2.	रारा–67 के करूर जिले में गांव मनवासी के पास 198.500 किलोमीटर पर	176.976	218.028	41.052

(ख) त्रिची बाइपास के पूरा होने के पश्चात्:
135.800 किलोमीटर से 154.400 किलोमीटर (0.000 किलोमीटर से 18.476 किलोमीटर तक त्रिची बाइपास) तक के खण्ड पूरा हो जाने के पश्चात्, शुल्क संग्रहण निम्नलिखित अनुसार होगा :

क्रम सख्या	टोल प्लाजा का अवस्थान	किलोमीटर से	किलोमीटर तक	लम्बाई (किलोमीटर में)
1.	रारा–67 के तिरूचिरापल्ली जिले में गांव तिरूपुवेथुरई के पास 157.500 किलोमीटर पर	0.000	18.476	41.052
		154.400	176.976	
2.	रारा–67 के करूर जिले में गांव मनवासी के पास 198.500 किलोमीटर पर	176.976	218.028	41.052

4. जब किसी वाहन के राष्ट्रीय राजमार्ग का उक्त खण्ड को दिन में एक से अधिक बार पार करना हो तो प्रयोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह पहले चक्कर में ही टोल प्लाजा को पार करते समय ऊपर अनुसूची में दी गई दरों के डेढ़ गुना (1.5) की दर से बहु–चक्करों के लिए शुल्क का भुगतान कर दे। यदि वाहन को पूरे महीने में लगातर तथा बार–बार उक्त खण्ड का प्रयोग करना हो तो वाहन का स्वामी, पूर्वोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए अनुसार, एकल चक्कर के लिए लागू प्रभार के तीस (30) गुना की दर से भुगतान करके मासिक पास ले सकता है।

स्पष्टीकरणः–इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु ''दिन'' की गणना चौबीस घंटे की लगातार अवधि के रूप में की जाएगी।

5. निम्नलिखित वाहनों से कोई शुल्क प्रभारित या संग्रहीत नहीं किया जाएगा, अर्थात्:

(क) जिनपर वीआईपी प्रतीक लगा हुआ हो या जो आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित से संबंधित हों–

(क) भारत का राष्ट्रपतिः
(ख) भारत का उप–राष्ट्रपतिः
(ग) राज्य का राज्यपाल अथवा संघशासित क्षेत्र का उप–राज्यपालः
(घ) भारत के राजकीय दौरे पर आया कोई विदेशी गणमान्य व्यक्तिः
(ड) भारत में रह रहा कोई विदेशी राजनयिक जो 'सीडी'/'सीसी' नम्बर प्लेटवाली कारों का उपयोग कर रहा हैः
(च) राज्य सभा का सभापति, लोक सभा अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद् का सभापति, राज्य विधान सभा का अध्यक्ष, संघ अथवा राज्य का मंत्री, लोक सभा, राज्य सभा, राज्य विधानमंडलों में विपक्ष का नेता, जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो, यदि वह वाहन में सवार होः
(छ) सम्पूर्ण देश में कोई संसद सदस्य, संबंधित राज्य में राज्य विधान सभा का कोई सदस्य, राज्य विधान परिषद् का कोई सदस्य, यदि वह संसद अथवा संबंधित राज्य के विधानमंडल, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा जारी किया गया अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करे।
(ज) शौर्य पुरस्कारों, यथा परम वीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र॰ और शौर्य चक्र॰ विजेताओं से संबंधित वाहन, यदि ऐसा पुरस्कार विजेता अपना फोटो पहचान–पत्र प्रस्तुत करे जिसे ऐसे पुरस्कार के लिए उपयुक्त अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया गया हो :

(झ) विभिन्न श्रेणी के रक्षा कार्मिक एवं वाहन, जिनमें वे भी शामिल हैं जो इंडियन टोल (आर्मी एंड एयरफोर्स) एक्ट, 1901 एंड रूल्स, (जैसाकि वे नेवी तक विस्तारित किए गए हैं) जिनमें उनके अधीन किए गए संशोधन भी शामिल हैं, के प्रावधानों के अनुसार छूट के लिए पात्र है।

(ञ) रक्षा वाहन, पुलिस वाहन अग्निशमन वाहन, एम्बुलेन्स, अंत्येष्टि वाहन, डाक एवं तार विभाग के वाहन, ड्यूटी पर लगे केन्द्रीय और राज्य सरकार के वाहनः

6. रियायतग्राही स्थानीय यातायात से कटौतीकृत निम्नलिखित दर से अधिक दर पर शुल्क संग्रहीत नहीं करेगाः–

(क) कार/जीप/वैनः

i) स्थानीय यातायात श्रेणी I 150.00 रुपए का मासिक पास

ii) स्थानीय यातायात श्रेणी II 300.00 रुपए का मासिक पास

(ख) बसेंः हटा दिया गया

(ग) स्कूल बसेंः स्कूल की मान्यता तथा बस के रजिस्ट्रेशन के साथ स्कूल के प्रिंसीपल से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर टोल प्लाजा पार करने वाली स्कूली छात्रों की बसों को मासिक पास एक हजार रुपए (1000 रुपए) की दर पर दिया जाएगा।

(घ) हल्के वाणिज्यिक वाहन (एलसीवी) अथवा ट्रक (स्थानीय ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स)ः बीस (20) किलोमीटर के दायरे में चलाने का सबूत, जैसे कि प्रारंभिक स्थान तथा गंतव्य स्थान को दर्शानेवाला माल–चालान दिखाकर जिसमें वाहन की वापसी संबंधी ब्यौरे को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो, प्रस्तुत करने पर ट्रकों के लिए हर बार के प्रवेश के लिए रियायती शुल्क पच्चीस रुपए (25 रु.) होगा तथा हल्के वाणिज्यिक वाहनों के लिए हर बार के प्रवेश के लिए पन्द्रह रुपए (15 रु.) का रियायती शुल्क लिया जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि जहां स्थानीय यातायात के उपयोग के लिए अलग से कोई निशुल्क सर्विस लेन खोली है तो रियायतग्राही केवल ऐसे स्थानीय यातायात से शुल्क संग्रहीत करेगा जो चार लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करेगाः

7. जब भी सर्विस लेन का निर्माण कर दिया जाएगा, रियायतग्राही ऐसी लेन के उपयोगकर्ताओं से कोई शुल्क संग्रहीत नहीं करेगा।

8. क्रम सं. 6 में उल्लिखित शुल्क दरें फिलहाल लागू हैं और जब भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा, तत्समय लागू नीति के अनुसार, किसी परिवर्तन की घोषणा की जाएगी तो शुल्क दरों में परिवर्तन हो जाएगा।

9. जैसाकि रियायत करार में व्यवस्था की गई है, रियायतग्राही बार–बार प्रयोग करने वाले तथा स्थानीय प्रयोक्ताओं के लिए इस अधिसूचना की विषय–वस्तु तथा छूट की योजना को दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा (जिनमें से एक स्थानीय भाषा का होगा) जिसमें इस अधिसूचना के प्रावधान के अनुसार, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से कम–से–कम दस दिन पहले वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख का उल्लेख किया जाएगा। इस अधिसूचना के अनुसार, संशोधित शुल्क को प्रभावी रूप देने से 10 दिन पहले भी इस विषय–वस्तु को दोहराया जाएगा।

10. रियायतग्राही शुल्क संग्रहण प्रभारी के रूप में एक अधिकारी का नामांकन करेगा और रियायतग्राही तथा उक्त अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि शुल्क सहमत दर से अधिक दर पर संग्रहीत नहीं किया जाए और शुल्क संग्रहण सुचारू रूप से किया जाए ताकि सड़क प्रयोक्ताओं के लिए शुल्क और उससे संबंधित सभी मामलों में कोई अनुचित कठिनाई पैदा न हो।

11. शुल्क की दर, शुल्क के भुगतान से मुक्त वाहनों की श्रेणिया और जिस रियायतग्राही को शिकायतें, यदि कोई हों, भेजी जानी चाहिए उसका नाम, पता और टेलिफोन नम्बर टोलबूथ से 500 मीटर पहले, टोलबूथ से 100 मीटर पहले और टोलबूथ पर भी स्पष्ट तथा प्रमुख रूप से प्रदर्शित जाएगा, प्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई तथा अक्षरों का साइज ऐसा हो कि ड्राइवर लोग प्रदर्शन बोर्ड को आसानी से पढ़ सकें और उन्हें अंग्रेजी, हिन्दी तथा उस क्षेत्र की भाषा में, जहां वह खंड स्थित है, ऐसे लिखा या छापा जाएगा कि उन्हें साफ–साफ पढ़ा जा सके।

12. प्रयोक्ताओं से लिया जाने वाला वास्तविक शुल्क रियायतग्राही द्वारा परिकलित किया जाएगा और प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, किन्तु दर में वृद्धि के प्रभावी होने से कम–से–कम पैंतालीस दिन पहले, प्राधिकरण को वैधीकरण के लिए भेजा जाएगा ताकि प्राधिकरण उक्त प्रस्ताव के प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के अन्दर कोई टिप्पणी कर सके या स्पष्टीकरण मांग सके और यदि प्राधिकरण इस अवधि में कोई टिप्पणी नहीं देता या स्पष्टीकरण नहीं मांगता तो यह मान लिया जाएगा कि रियायतग्राही द्वारा यथा–प्रस्तावित संशोधित शुल्क की प्राधिकरण द्वारा पुष्टि कर दी गई है।

13. इस अधिसूचना में प्रयुक्त जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है किन्तु उन्हें तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–67 के 135.800 किलोमीटर से 218.028 किलोमीटर तक के खण्ड के संबंध में प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच हुए करार में परिभाषित नहीं किया गया है, उनका अर्थ वही होगा जो उन्हें क्रमशः उक्त करार में दिया गया है।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/ 713/12–13/सीओ–सीएमडी/जीसी त्रिची–करूर बीओटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2014

S.O. 305(E).—Whereas, the Central Government, vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1399(E), dated the 27th September, 2005, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government has entrusted, the stretch from Km 0.000 to Km 504.400 (Nagapatinam – Thanjavur – Trichy – Karur – Coimbatore – Mettupalayam – Tamil Nadu/Karnataka Border section) of National Highway no. 67 in the State of Tamil Nadu to the National Highways Authority of India (herein after referred to as the Authority);

And Whereas, pursuant to the provisions of section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement on 19.07.2007 and supplementary agreement on 14.11.2013 with M/s TK Toll Road Private Limited, having its registered office at H Block, 1st Floor, Dhirubhai Ambani Knowledge City, Navi Mumbai – 400 710 (hereinafter referred to as the Concessionaire) for the bid submitted on 05.02.2007 for Design, Engineering, Finance, Construction, Operation and Maintenance of Trichy - Karur section from Km 135.800 – Km 218.028 of National Highway number 67 in the State of Tamil Nadu under NHDP Phase-IIIA into two lane with Paved Shoulder from Km 0.650 to 16.450 of Trichy Bypass & Km 153.230 to Km 196.380 (Length 58.950 Kms) and four lane divided carriageway from Km 0.000 to Km 0.650 & Km 16.450 to Km 17.306 of Trichy Bypass & Km 196.380 to Km 218.028 (Length 23.154 Kms) (including Lalapet ROB) (herein after referred to as the said section) on Build, Operate and Transfer (BOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the Use of Section of National Highways/Permanent Bridge/Temporary Bridge on National Highways) Rules, 1997, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees at the base rates specified in column (3) of the following Table (hereinafter referred to on the said Table), on the categories of vehicles specified in column (2) of the said Table for the use of the said section, and authorises the Concessionaire to collect and retain the said fees on and from the date of commercial operation of the said section or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date, namely:—

TABLE

S. No.	Categories of vehicles.	Base rate of fees per vehicle per one way trip per Km at June 1997 (in rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Car, passenger van or jeep	0.40
2.	Light Commercial Vehicle (LCV)	0.70
3.	Bus, Truck	1.40
4.	Multi Axle Vehicle (>2 axle), Earth Moving Equipment and Heavy Construction Machinery.	2.25

1. For the purposes of this notification,-

(i) "actual fees" means the fees actually charged from the road users for using Km 135.800 to Km 218.028 of the Project Highway based on the length of the Project Highway and the base rate of fee given in the said table duly indexed

and shall be rounded off to the nearest one (01) rupee. Each Toll Plaza would levy Fee for half of the length of the Project Highway,

(ii) "date of commercial operation or COD" means the dates on which the commercial operations of the section (a) from Km 154.400 to Km 176.976 (length 22.576 Km) for which the user fee shall be collected at the temporary Toll Plaza located at km 157.500, (b) from Km 176.976 to 218.028 (length 41.052 Km) with the Toll Plaza at Km 198.500, (c) from km 135.800 to km 154.400 (length 18.476 km) of Trichy Bypass for which the user fee shall be collected at the temporary Toll Plaza located at km 157.500, on issue of Provisional Completion Certificate (PCC) as per Article 15.1 of Concession Agreement and as per provisions of Supplementary Agreement, of the National Highway number 67 in the State of Tamil Nadu begins, which shall be the date on which the Independent Consultant has issued the Completion Certificate or the Provisional Certificate upon completion of the said sections of the said National Highway in accordance with the provisions of the Agreement entered into between the Authority and the Concessionaire as the case may be;

(iii) "Local Traffic" means the following type of traffic;

(a) Car/Jeep/Vans – It has 2 category of traffic, viz.

- **Category I** means and includes local users falling into any of the following categories

 (1) Residents of villages/towns/cities whose boundary falls within a radius of 10 Km of the fee collection booths (toll plaza).

 (2) Establishments/Industrial units located within a radius of 10 Km of the fee location booths (toll plaza).

 (3) Employees of Establishments/Industrial units located or which have their office, within a radius of 10 Km of the fee collection booths (toll plaza); and

 (4) Self employed persons/businessmen having a place of work within a radius of 10 Km of the fee collection booth (toll plaza).

- **Category II** means and includes local users falling into any of the following categories

 (1) Residents of villages/towns/cities whose boundary falls within a radius of more than 10 Km but upto 20 Km of the fee collection booths (toll plaza).

 (2) Establishments/Industrial units located within a radius of more than 10 Km but upto 20 Km of the fee collection booths (toll plaza).

 (3) Employees of Establishments/Industrial units located or which have their office, within a radius of more than 10 Km but upto 20 Km of the fee collection booths (toll plaza); and

 (4) Self employed persons/businessmen having a place of work within a radius of more than 10 Km but upto 20 Km of the fee collection booth (toll plaza).

(iv) "termination Date" means the date on which the said Agreement entered into between the Authority and the Concessionaire expires pursuant to the provisions of the said Agreement or is terminated by Termination Notice;

2. The actual amount of fee and the revision thereof effective from 1st September every year shall be computed as follows:-

$$\text{Base Fee} \times \frac{\text{WPI B}}{\text{WPI A}} \times \text{length assigned at each fee plazas in kilometre}$$

Where

- WPI-A = is the Wholesale Price Index on June, 1997 (131.4).
- WPI-B = is the Average Wholesale Price Index available for the year ending March, 31st preceding the fee revision date.
- WPI means the Whole Sale Price Index as released by the Office of the Economic Advisor, Ministry of Commerce and Industry, Government of India or any other index replacing the same.

3. The fee shall be collected at the two fee plaza:

(A) Before completion of Trichy Bypass

IndiaCode

Sl. No.	Location of Toll Plaza	From Km.	To Km.	Length (in Km.)
1	At Km. 157.500 near village Thirupuvaithurai in Thiruchirapalli district of NH – 67	154.400	176.976	22.576
2	Km. 198.500 near village Manavasi in Karur district of NH – 67	176.976	218.028	41.052

(B) After completion of Trichy Bypass:

After completion of the stretch from Km. 135.800 to Km. 154.400 (Trichy Bypass from Km. 0.000 to Km. 18.476) Fee Collection shall be as under;

Sl. No.	Location of Toll Plaza	From Km.	To Km.	Length (in Km.)
1	At Km. 157.500 near village Thirupuvaithurai in Thiruchirapalli district of NH - 67	0.000	18.476	41.052
		154.400	176.976	
2	Km. 198.500 near village Manavasi in Karur district of NH - 67	176.976	218.028	41.052

4. When the same vehicle has to cross the said stretch of the National Highway more than once in a day, the user shall have the option to pay the Fee for multiple trips at one and half (1.5) times the rates as given in the Schedule above while crossing the Toll Plaza in the first trip itself. If the vehicle has to use the said stretch continuously and frequently for entire month, the vehicle owner can have a monthly pass on payment of charges equal to thirty (30) times rate applicable for single trip as applicable to it as specified in the aforesaid Schedule.

Explanation:- For the purpose of this notification "day" shall be counted as continuous period of twenty-four hours.

5. No fee shall be charged or collected in respect of the following vehicles, namely:-

(A) having VIP symbols or officially belonging to –

(a) the President of India;
(b) the Vice-President of India;
(c) the Governor of a State and Lieutenant Governor of a Union territory;
(d) a Foreign dignitary on State visit to India;
(e) a Foreign Diplomat stationed in India using cars with "CD"/"CC" number plates;
(f) the Chairman of Rajya Sabha, Speaker of Lok Sabha, Chairman of a State Legislative Council, Speaker of a State Legislature Assembly, a Minister for the Union or State, Leader of Opposition in Lok Sabha, Rajya Sabha, State Legislatures having the status of Cabinet Minister if he is sitting in the vehicle;
(g) a Member of Parliament in the entire country, a Member of Legislative Assembly of a State, a Member of Legislative Council of a State, in the respective State if he produces his identity card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State, as the case may be;
(h) belonging to awardees of Gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the appropriative or competent authority for such award;
(i) Different class of Defence Personnel and vehicle, including those eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and the rules, including any amendments made there under (as extended to Navy);
(j) Defence vehicles, Police vehicles, Fire fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, Post and Telegraph Department's vehicles, Central and State Government vehicles on duty.

6. Concessionaire shall not collect fees from Local Traffic in the excess of the following discounted rate:-

(a) Car/Jeep/Van:

(i) Local Traffic Category I: Monthly pass of Rs 150.00;
(ii) Local Traffic Category II: Monthly pass of Rs 300.00;

(b) Buses: Deleted

(c) School buses: Monthly passes for school buses, for school students, crossing the toll plaza shall be given at a monthly rate of rupees one thousand (Rs. 1000) after obtaining written request of the school principal along with the recognition of the school and the registration of the bus.

(d) Light Commercial Vehicle (LCV) or Trucks (Local Transport Operators): Concessional fee may be taken from the Local Transport Operators on production of proof for plying within twenty (20) kilometers i.e. goods challan showing origin and destination clearly specifying the return details of the vehicle and the fee for such transport shall be rupees twenty five (25) for trucks for each entry and rupees fifteen (15) for Light Commercial Vehicle (LCV) for each entry:

Provided that where a separate service lane is opened for free use by local traffic, the Concessionaire shall collect fee from such local traffic only, if they use the four lane National Highway.

7. As and when a service lane is constructed, the Concessionaire shall not collect any fee from the users of such lane.

8. The Fee schedules mentioned in serial number 6 are applicable for the time being and will undergo change as and when announced by NHAI as per the policy applicable at that time.

9. The Concessionaire shall publish substance of this notification and the scheme of discount to frequent and local users, as provided in the Concession Agreement, in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language), which shall also state the date of commercial operation as per the provision of this notification, at least ten days prior to the date of commercial operation. Such substance shall also be repeated, ten days prior to giving effect to revised Fees as per this notification.

10. The Concessionaire shall nominate an officer as in-charge of fee collection and the Concessionaire and the said officer shall be responsible to ensure that fee is collected at not more than the agreed rates and the fees collected is smooth without causing undue hardship to the road users and for all matters connected therewith.

11. The rate of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of Concessionaire to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 meters ahead of the toll booth, 100 meters ahead of the toll booth and at the toll booth also, the height of the display boards and size of letters being such that the driver can easily read the display boards and they shall be legibly written or printed in English, Hindi and the regional language of the area in which the stretch is situated.

12. The actual fee to be charged from users shall be computed by the Concessionaire and sent to Authority for validation as soon as possible after 31st March , in every year, but at least forty-five days before the revised rate is to be effected so as to enable the Authority to provide any comments or seek clarifications, if any, within a period of fifteen days from the date of receipt of the said proposal and if the Authority does not offer comments or seek clarifications during this period, the revised fee, as proposed by the Concessionaire, shall be deemed to have been confirmed by the Authority.

13. Words and expressions used in this notification but not defined but defined in the Agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of section from Km. 135.800 to 218.028 of the National Highway number 67 in the States of Tamil Nadu shall have the same meaning as assigned to them respectively in the said Agreement.

[F. No. NHAI/13013/713/12-13/CO-CMD/GC Trichy-Karur BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.